

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062022-236396 CG-DL-E-08062022-236396

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 400] No. 400] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2022/ज्येष्ठ 17, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2022/JYAISTHA 17, 1944

#### पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

सा.का.नि. 421(अ).—अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित अन्तर्देशीय जलयान (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम, 2022 के प्रारूप भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 144(अ), तारीख 22 फरवरी, 2022 द्वारा भारत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिससे उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों की अविध के अवसान से पूर्व आपेक्ष और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 22 फरवरी, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त किए गए आपेक्षों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (ढ़) से (भ) के साथ पठित धारा 21, धारा 22 की की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 23 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 24 की उपधारा (2), धारा 27 की उपधारा (2), धारा 29 की उपधारा (2), धारा 32 की उपधारा (1), धारा 33 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्तर्देशीय जलयान (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम, 2022 है।

3827 GI/2022 (1)

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. विस्तार और उपयोजन.— (1) कोई अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान जिसे जिसका अधिनियम की धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित है, किसी भी यात्रा पर नहीं जाएगा या किसी भी सेवा के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके पास उस संबंध में प्रवृत्त रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र न हो और जिसे अधिनियम की धारा 24 के अधीन प्रदान किया गया हो।
- (2) वाणिज्यिक पोत, परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन यंत्रचालित जलयान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक प्रमाणपत्र अधिनियम के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के रूप में मान्य और प्रभावी होगा और अधिनियम के सुसंगत उपबंध ऐसे जलयान के संबंध में लागू होंगे क्योंकि वे इन विनियमों और अधिनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान पर लागू होते हैं।
- 3. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "अधिनियम" से अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) अभिप्रेत है;
- (ख) "जांच" से रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा जलयान, उसकी मशीनरी, बोर्ड पर रखी वस्तुओं की निरीक्षण प्रक्रिया और जलयान के रिकोर्ड का सत्यापन अभिप्रेत है;
- (ग) "प्रमुख संपरिवर्तन और उपांतरण" से निम्नलिखित में से कोई अभिप्रेत है
  - (i) जलयान के सकल भार में 10 प्रतिशत से अधिक का बदलाव
  - (ii) जलयान प्रकार में बदलाव या
  - (iii) प्रणोदन प्रणाली या मुख्य इंजिन या ईंधन प्रकार में बदलाव
- (घ) "जलयान के मुख्य आरेखण" से निम्नलिखित अभिप्रेत है -
  - (i) साधारण व्यवस्था;
  - (ii) मुख्य अवसंरचना योजना; जलयान का मध्य खंड, प्रोफाइल और डेक, शेल विस्तार
  - (iii) प्रणोदन प्रणाली सहित मशीनरी लेआउट और ब्यौरा
- (2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है ।
- **4. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.** अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 2 में ऐसी विशिष्टियों के साथ, यान के स्वामी या मास्टर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन नियमों के नियम 7 के अधीन अपेक्षित है।
- **5. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया.** (1) राज्य में रजिस्ट्री के स्थान पर रजिस्ट्रीकरण के इच्छुक अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी या मास्टर या मालिक या निर्माता रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन करेंगे और संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को पस्तुत करेंगे:
- (क) एक उद्घोषणा यह कि इस अधिनियम के उपबंधों और नियमों का अनुपालन किया गया है;
- (ख) इन नियमों से संलग्न प्ररूप 3 में स्वामी की उद्घोषणा;
- (ग) नए जलयान के लिए :-
  - (i) जलयान के निर्माता (निर्माता प्रमाणपत्र) जिसमें उचित आयामों या विवरणों और जलयान के टनभार का एक सही ब्यौरा हो जैसा कि उसके द्वारा अनुमान लगाया गया था और उस समय और स्थान जहां जलयान का निर्माण किया गया था।
  - (ii) जलयान के अनुमोदित मुख्य आरेखण के साथ सर्वेक्षण कर्ता द्वारा जारी जांच प्रमाणपत्र ।
  - (iii) यदि कोई नया जलयान निर्माणाधीन है तो निर्माता का प्रमाणपत्र जलयान के पूरा होने के पश्चात् संबंधित संगठन द्वारा जारी किए जाने से पूर्व जमा किया जा सकता है।

- (घ) प्रमुख संपरिवर्तन या उपांतरण के अध्याधीन जलयान के मामले में जलयान के मुख्य आरेखण अनुमोदन के साथ निर्माण का प्रमाणपत्र और निरीक्षण प्रमाणपत्र सर्वेक्षक द्वारा जारी किया जाएगा।
- (ङ) विक्रय लिखत जिसके अधीन जलयान का हक आवेदक को अंतरित किया गया था, उसे अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराना अपेक्षित है, (पुराने जलयान के लिए) ;
- (च) सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र, यदि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो या सर्वेक्षक द्वारा जारी किया गया सर्वेक्षण का अनंतिम प्रमाणपत्र ;
- (छ) राज्य सरकार द्वारा यथा विहित फीस के भुगतान के साक्ष्य की चालान रसीद ; और
- (ज) बंधक के ब्यौरे, यदि कोई हो।
- (2) अन्तर्देशीय जलयानों [बीमा, देयता की सीमा, जांच और जांच, सेवा प्रदाताओं और सेवा उपयोगकर्ताओं और संबद्ध मामलों के दायित्व] नियम 2022 के अनुपालन में जारी किए गए बीमा प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि तत्काल प्रस्तुत की जाएगी, जब जलयान को चलाने या व्यापार से पहले नियमों के अनुसार बीमा किया जाता है।

स्पष्टीकरण: उपनियम (2) के प्रयोजन के लिए जलयान के रिजस्ट्रीकरण होने के पश्चात् उसका बीमा किया जाएगा और बीमा कंपनी को जलयान के पहचान के ब्यौरे और जलयान के रिजस्ट्रीकरण का सबूत, सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र और ऐसे अन्य दस्तावेज जो बीमा कंपनी द्वारा अपेक्षित हों, दिए जाएंगे।

- (3) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र तत्काल प्रस्तुत किया जाएगा, जैसे ही नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाए ।
- (4) नियम (4) के अधीन जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी रिकोर्ड और केन्द्रीय डाटा आधार से सुनिश्चित करने के पश्चात् कि उस नाम पर कोई अन्य जलयान रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तो वह नाम अनुमोदित करेगा जिसके लिए अनुरोध किया गया है और जब एक बार नाम अनुमोदित किया जाए तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जलयान के लिए एक आधिकारिक संख्या भी आबंटित करेगा जो इन नियमों और केन्द्रीय डाटा आधार से संलग्न प्ररूप संख्या 1 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण पुस्तिका में रिकोर्ड होगी।

परन्तु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी आवेदक से अंतिम दस्तावेज की प्राप्ति के तारीख से तीस दिनों के भीतर आवेदक को नाम के अनुमोदन की संसूचना देगा ।

- (5) इन नियमों के अनुपालन में आवेदक द्वारा अपेक्षित ब्यौरे और दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के अध्याधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 4 में आवेदक को नोटिस देगा और जलयान के संबंध में जांच के लिए समय और तारीख की सूचना देगा।
- (6) इन नियमों के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त या प्राधिकृत ऐसा अन्य व्यक्ति,-
- (क) ऐसी जांच के उद्देश्य के लिए जलयान अथवा इसके किसी भाग अथवा इसमें लगी किसी मशीनरी अथवा संगत किसी वस्तु की जांच कर सकता है ;
- (ख) जलयान के स्वामी अथवा मालिक से कोई रिकार्ड मांग सकता है और जहां तक ऐसी जांच के उद्देश्य के लिए ऐसे रिकार्डों का संबंध है, उनकी जांच कर सकता है ; और
- (ग) ऐसी जांच के उद्देश्य के लिए यथा उपयुक्त सहायता प्राप्त कर सकता है।
- (7) इन नियमों के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए जलयान के स्वामी, मास्टर और चालक दल का प्रत्येक सदस्य जांच करने के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसी जानकारी भी प्रस्तुत करेगा जो उपनियम (6) के अधीन सशक्त प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।
- (8) यह सुनिश्चित करने पर कि आवेदक द्वारा इस नियम के अधीन समेकित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 5 में एक नक्काशी जारी करेगा और नोट बनाएगा ।
- (9) नक्काशी और नोट जलयान पर नक्काशी और नोट कार्यान्वित करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को वापस करेगा, जो सर्वेक्षक द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।

- (10) यह सुनिश्चित करने पर कि आवेदक ने रजिस्ट्रीकरण के अपेक्षाओं को पूरा करने में इन नियमों का अनुपालन किया है, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 1 में अन्तर्देशीय जलयान की विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा।
- 6. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को प्रदान करना.— (1) यदि किसी अन्तर्देशीय जलयान के संबंध में, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को नियम 5 के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किन्ही नियमों का अनुपालन किया गया है, तो वह आवेदक को इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 8 में एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उस आवेदक को प्रदान करेगा, जिसमें सर्वेक्षण प्रमाणपत्र, सर्वेक्षण का अनंतिम प्रमाणपत्र, निर्माता प्रमाणपत्र, विक्रय का प्रमाणपत्र जिसके द्वारा जलयान बेचा गया था और स्वामीत्व की उद्घोषणा होगी।
- (2) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में भी होगा।
- (3) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी-
- (क) किसी भी अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान को किसी रजिस्ट्रीकृत पत्तन या स्थान के अलावा अन्य स्थान पर निर्मित हो, तो रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी पत्तन या स्थान के लिए अन्तर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से उनकी पहली यात्रा की अनुमति दे सकता है ; या
- (ख) भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन उपबंध किए गए हैं, को अन्तर्देशीय जलमार्गों में यात्रा करने की अनुमित दे सकता है ; या
- (ग) भारत के अलावा किसी अन्य देश की ऐसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी यंत्रचालित जलयान को समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निबंधन वे शर्तों के अध्याधीन अन्तर्देशीय जलमार्गों में चलाने की अनुमति दे सकता है।
- (4) रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करना लंबित रहते हुए, अधिनियम की धारा 27 के अनुसार प्ररूप सं. 12 में आवेदन की प्राप्ति पर इन नियमों से संलग्न प्रारूप सं. 13 में जारी किया जा सकता है और रजिस्ट्रीकरण के अनंतिम प्रमाणपत्र की वैधता की अविध के दौरान स्वामी या मास्टर अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान को रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना, कार्यान्वित करेगा और पालन करेगा।
- (5) जलयान के स्वामी या मालिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम और नियमों के प्रवर्तन में शामिल प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसा कि मामला हो, प्रस्तुत करे।
- (6) एक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी भी अन्तर्देशीय जलयान को रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार कर सकता है, यदि वह यांत्रिक रूप से दोषपूर्ण पाया जाता है, या यदि आवेदक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में किए गए किसी भी कथन के समर्थन में संतोषजनक सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहता है, परंतु कि जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी भी अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान को रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार करता है, तो यह आवेदक को लिखित रूप में एक कथन प्रस्तुत करेगा जिसमें इस तरह के इनकार के कारण शामिल होंगे।
- 7. प्रमाणपत्र की दुसरी प्रति.—(1) प्राधिकारी जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है, वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस के भुगतान के अध्यधीन खोए हुए, नष्ट या विकृत प्रमाणपत्र को प्रतिस्थापित करने के लिए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की दुसरी प्रति जारी करेगा।
- (2) परंतु कि प्रमाणपत्र की ऐसी कोई प्रति जारी नहीं की जाएगी यदि :
- (क) खोए प्रमाणपत्र के मामले में रजिस्ट्रीकरण करने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए यह साबित नहीं हो कि उक्त प्रमाणपत्र को ढूंढने के लिए सभी संभव उपाय कर लिए गए हैं ;
- (ख) विनष्ट प्रमाणपत्र के मामले में ऐसा प्राधिकारी उचित जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाए कि प्रमाणपत्र वास्तव में विनष्ट हो गया है ; और
- (ग) विकृत प्रमाणपत्र के मामले में स्वामी ऐसे प्राधिकारी को ऐसा विकृत प्रमाणपत्र प्रदान करता है।
- (3) प्रमाणपत्र की प्रत्येक दूसरी प्रति के पृष्ठ पर लाल स्याही से 'दूसरी प्रति' शब्द का स्टाम्प होगा ।
- (4) मूल प्रमाणपत्र की प्राप्ति होने पर किसी दूसरी प्रति प्रमाणपत्र के जारी होने के पश्चात् नकल प्रमाणपत्र को जारीकर्ता प्राधिकारी को वापस किया जाएगा जो उक्त प्रमाणपत्र को रह करेगा और इसे रिकार्ड करेगा ।

- 8. अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों पर चिह्न लगाना.— (1) जहां इस नियमों के अधीन एक अन्तर्देशीय जलयान रिजस्ट्रीकृत किया गया है, रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी ऐसे जलयान को एक रिजस्ट्रीकरण चिह्न देगा, जिसमें रिजस्ट्रीकरण संख्या, रिजस्ट्री बंदरगाह और ऐसे जलयान का नाम सहज रूप से प्रदर्शित होंगे।
- (2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत जलयान के ढ़ांचे पर निम्नलिखित पहचान चिह्न होंगे :-
- (क) यंत्रचालित जलयान के प्रत्येक धनुष और स्टर्न पर जलयान का नाम अंकित किया जाएगा और बार्जों या जलयानों के मामले में जो स्व-चालित नहीं हैं, प्रत्येक धनुष पर नाम और आधिकारिक संख्या अंकित की जाएगी ;
- (ख) रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण का वर्ष मुख्य अधिरचना और इंजन रूम बल्कहेड या अन्तर्देशीय जलयानों में मुख्य बीम पर अंकित किया जाएगा ।
- (ग) रजिस्ट्री स्थल अथवा बंदरगाह का नाम स्टर्न या ट्रांसोम पर अंकित होगा।
- (3) पहचान चिह्न को 25 मिमी चौड़े प्रत्येक अक्षर के साथ न्यूनतम 200 x 150 मिमी (ऊंचाई x चौड़ाई) से कम नहीं लिखा जाएगा और इसे काली पृष्ठभूमि पर या हल्के रंग की पृष्ठभूमि पर गहरे रंग में नक्काशीदार या चिह्नित या वेल्डे किया जाएगा।
- (4) अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रीकरण चिह्नों को इसके मुख्य बीम या किसी भी स्थायी बल्कहेड पर एक प्रमुख स्थान पर नक्काशीदार या चिह्नित किया जाएगा ।
- (5) इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जलयान को चित्रित किया जाएगा और एक नियत बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा, ऊपरी डेक पर निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित की जाएगी :-
- (क) सकल टनभार;
- (ख) यात्रियों की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या;
- (ग) स्वामी का नाम;
- (घ) अंतिम नवीकरण सर्वेक्षण तिथि;
- (ङ) 🛾 कार्गो जलयानों के मामले में भारयुक्त प्रारूप और पूर्णभार।
- 9. परिवर्तनों और उपांतरणों का रजिस्ट्रीकरण.— (1) कोई भी परिवर्तन या उपांतरण जो जलयान की दृढता, स्थिरता या सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।
- (2) जब किसी अन्तर्देशीय जलयान को इतना बदल दिया जाता है, जो उसके या रिजस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में दर्ज विवरण से संबंधित विवरणों के अनुरूप नहीं हो तो ; फिर जलयान का स्वामी, 30 दिनों के भीतर, उस स्थान के रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सर्वेक्षण के संबंधित प्रमाणपत्र के साथ इस तरह के परिवर्तन या उपांतरणों की एक रिपोर्ट देगा जहां जलयान रिजस्ट्रीकृत है।
- (3) उप-नियम (2) के अधीन रिपोर्ट, इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 6 में की जाएगी और इसमें परिवर्तन या उपांतरणों के संबंध में विवरण शामिल होंगे और रिपोर्ट के समय जलयान के संबंध में लागू रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के साथ होंगे।
- (4) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, उप-नियम (2) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निर्धारित फीस के भुगतान पर या तो परिवर्तन को रजिस्ट्रीकृत करने का कारण बनेगा या निर्देश देगा कि जलयान को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (5) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी यह तय करने में कि क्या रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में परिवर्तन या उपांतरण दर्ज किए जाएंगे या क्या अन्तर्देशीय जलयान का एक नया रजिस्ट्रीकरण किया जाना चाहिए, निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखते हुए, निर्देशित किया जाएगा :-
- (क) जब कभी कोई सामग्री परिवर्तन अन्तर्देशीय जलयान की लंबाई या चौड़ाई या गहराई को प्रभावित करता है या जहां भी सहायक इंजन को जोड़ने या हटाने सहित प्रणोदान के साधनों में परिवर्तन होता है, तो जलयान को नए रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता होगी।
- (ख) जहां परिवर्तन में केवल संलग्न स्थान के आयामों में परिवर्तन, पूप या डेकहाउस आदि के जोड़ने या हटाने या अन्य समान परिवर्तनों की स्वीकृति या अस्वीकृति या चालक दल के स्थान में परिवर्तन शामिल है, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इस

तरह के परिवर्तन को रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में रिकॉर्ड करने की अनुमित दे सकता है, परंतु यह नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो कि इससे जलयान की स्थिरता इस प्रकार से खतरे में नहीं है।

- (6) जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी निर्देश देता है कि जलयान को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत किया जाए, यह या तो जलयान को परिवर्तित के रूप में वर्णित करने वाला एक अनंतिम प्रमाणपत्र प्रदान करेगा या मौजूदा प्रमाण पत्रों पर परिवर्तन के विवरण का समर्थन करेगा।
- (7) उप-नियम (6) के अधीन दिया गया कोई भी अनंतिम प्रमाणपत्र या किया गया पृष्ठांकन उसकी तारीख से नब्बे (90) दिनों की अविध के लिए विधिमान्य होगा, जिस अविध के भीतर स्वामी जलयान को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
- 10. रिजस्ट्री का अंतरण.— (1) यदि किसी अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान का स्वामी जलयान के रिजस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में रिकॉर्ड पते पर निवास करना या व्यवसाय करना बंद कर देता है, तो वह पते के परिवर्तन के तीस (30) दिनों के भीतर, अपने नए पते के बारे में रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसके द्वारा रिजस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था, या यदि नया पता उसी राज्य के भीतर किसी अन्य रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है, और उसी समय रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी का रिकर्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को अग्रेषित करेगा ताकि नया पता उस पर रिकॉर्ड किया जा सके।
- (2) जहां मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के अलावा कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ऐसी कोई प्रविष्टि करता है, तो वह मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को नए पते के बारे में संसूचित करेगा।
- (3) किसी अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान की रजिस्ट्री एक राज्य के एक स्थान से दूसरे राज्य के दूसरे स्थान पर, जलयान के स्वामी या मास्टर द्वारा प्ररूप सं. 7 में आवेदन को उस राज्य के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को, जिसमें रजिस्ट्रीकरण अंतरित करने का आशय है, प्रस्तुत किए जाने पर, अंतरित की जा सकेगी।
- (4) उप-नियम (3) के अनुसार ऐसे आवेदन की प्राप्ति होने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उस स्थान के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को विधिवत रूप से लिखित रूप में अधिसूचित करेगा जहां जलयान मूल रूप से रजिस्ट्रीकृत है, जो पखवाड़े के भीतर या उससे पहले इस तरह के अंतरण के लिए कोई आपत्ति या अन्यथा सूचित करेगा।
- (5) जलयान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र आवेदन के साथ रजिस्ट्री के आशयित स्थान के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को भेजा जाएगा।
- (6) उप-नियम (3) के अधीन आवेदन और राज्य सरकार द्वारा यथा विहित फीस के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्री के आशयित स्थान का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अपनी रजिस्टर बही में, जलयान से संबंधित सभी विवरणों को दर्ज करेगा और जलयान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण का एक नया प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और आगे से ऐसे जलयान को रजिस्ट्री के नए स्थान पर रजिस्ट्रीकृत माना जाएगा।
- 11. जलयान का अंतरण.—(1) यदि किसी जलयान को किसी व्यक्ति को अन्तरित कर दिया जाता है, चाहे वह राज्य के भीतर निवासी हो या नहीं, तो अन्तरणकर्ता और अन्तरिती रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के लिए अन्तरण की संयुक्त रिपोर्ट बनाएंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर अन्तरणकर्ता रहता है या ऐसे अन्तरण के तीस दिनों के भीतर व्यवसाय करता है, साथ ही चालान या जमा रसीद के साथ-साथ इस तरह के अन्तरण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करता है।
- (2) जलयान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र भी उप-नियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के साथ सौंप जाएगा ताकि स्वामित्व के अन्तरण की उन विशिष्टियों को सुकर बनाने के लिए उस में प्रविष्टि की जा सके।

परन्तु जब रजिस्ट्री का अन्तरण जिसमें एक राज्य सरकार से दूसरे राज्य सरकार को अन्तरण शामिल होता है, तो आवेदन प्ररूप सं. 7 में किया जाएगा जैसा कि नियम 10 के उप-नियम (3) में उपबंध किया गया है।

- (3) अन्तरण की स्थिति में, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, केन्द्रीय डेटाबेस में अन्तरिती के साथ-साथ अन्तरणकर्ता के ब्यौरे रिकोर्ड करेगा।
- 12. रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जाना.— (1) जब कोई रजिस्ट्रीकृत अन्तर्देशीय जलयान लापता, नष्ट, खोया हुआ और परित्यक्त घोषित किया जाता है या सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो जलयान का स्वामी

ऐसी घटना के पंद्रह दिनों के भीतर उस स्थान जहां उक्त जलयान का रजिस्ट्रीकरण हुआ है, अन्तर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रार को इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा ।

- (2) उस मामले में जहां स्वामी यह विनिश्चित करता है कि एक रजिस्ट्रीकृत अन्तर्देशीय जलयान को स्क्रैप या विघटित या विदेशों में बेचा जाना है, इस तरह के तथ्य को स्क्रैपिंग या विघटित करने या निष्पादित करने के शुरू होने से कम से कम पंद्रह दिन पहले उस प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा। जलयान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र भी अधिनियम की धारा 32 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण रद्दीकरण के लिए प्राधिकारी को सौंपा जाएगा।
- 13. यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान या उनके भाग का बंधक.— (1) (क) एक रजिस्ट्रीकृत अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसमें एक भाग किसी ऋण या अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु एक प्रतिभूति के रूप में रखा जा सकता है और प्रतिभूति बनाने वाला लिखत (जिसे बंधक कहा गया है) प्ररूप सं. 9 में होगा और इस तरह के लिखत को प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्री के अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों के बंदरगाह का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इसे रजिस्ट्रीकृत बही में दर्ज करेगा और रजिस्ट्री के प्रमाणपत्र में इसे पृष्ठांकित किया जाएगा।
- (ख) बंधक को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा उस क्रम में रिकॉर्ड किया जाएगा जिस में वे उस उद्देश्य के लिए उसे प्रस्तुत किए जाते हैं और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, अपने तहत ज्ञापन द्वारा, प्रत्येक बंधक पर सूचित करेगा कि यह उसके द्वारा उस रिकॉर्ड के दिन और घंटे को बताते हए रिकॉर्ड किया गया है।
- (2) जहां एक रजिस्ट्रीकृत बंदक का निर्वहन हो जाता है, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, बंधक विलेख के सौंपने पर, उसके साथ लगाए गए बंधक धन की रसीद के साथ, सम्यक् हस्ताक्षरित और सत्यापित, रजिस्ट्रीकरण बही में इस आशय से एक प्रविष्टि करेगा कि बंदक का निर्वहन किया गया है और उस प्रविष्टि पर संपत्ति, यदि कोई हो, बनाई जा रही है जिस पर बंधक को पारित किया गया है, तो वह उस व्यक्ति में निहित होगा जिसमें (हस्तक्षेप करने वाले कृत्यों और परिस्थितियों के संबंध में, यदि कोई हो) तो यह निहित होगा, यदि बंधक नहीं किया गया है।
- (3) यदि उसी अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग के संबंध में रिकॉर्ड एक से अधिक बंधक है, तो बंधकधारकों को किसी भी अभिव्यक्त, अनुरोध या रचनात्मक नोटिस के होते हुए भी, उस तारीख के अनुसार प्राथमिकता होगी जिस पर प्रत्येक बंधक रजिस्ट्रीकरण बही में रिकॉर्ड किया गया है और प्रत्येक बंधक की तारीख के अनुसार नहीं।
- (4) जहां तक बंधकयुक्त अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग को बंधक ऋण के लिए एक प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हो, बंधकधारक को अपने बंधक के कारण, अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग का स्वामी नहीं माना जाएगा और न ही बंधककर्ता को इसका स्वामी माना जाएगा।
- (5) (क) जहां एक अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसका भाग केवल एक रजिस्ट्रीकृत बंधक है, तो वह उच्च न्यायालय में जाए बिना अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान या उसके भाग को बेचकर बंधक के अधीन देय राशि की वसूली करने का हकदार होगा;

परन्तु इस उपनियम में अंतर्विष्ट कोई बात बंधककर्ता को उपनियम (ख) में यथा उपबंधित उच्च न्यायालय में ऐसी देय धनराशि को वसूल करने से नहीं रोकती है।

- (ख) एक अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग के दो या दो से अधिक रजिस्ट्रीकृत बंधक हैं, तो वे उच्च न्यायालय में बंधक के अधीन देय राशि की वसूली करने के हकदार होंगे और डिग्री पारित करते समय या उसके पश्चात् उच्च न्यायालय निदेश दे सकता है कि बंधक अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसका भाग डिग्री के निष्पादन में बेचा जाए।
- (ग) किसी अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग का प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत बंधककर्ता, जो खंड (क) के अधीन बंधक अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग को बेच कर बंधक के अधीन देय राशि को वसूल करने का आशय रखता है, तो रजिस्ट्री के अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान बंदरगाह के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को ऐसे विक्रय से संबंधित पंद्रह दिन की अग्रिम सूचना देगा।
- (घ) उपर्युक्त खंड (ग) के अधीन नोटिस के साथ जलयान पर उनके रोजगार के संबंध में चालक दल को देय सभी मजदूरी और अन्य राशियों का भुगतान सबूत होगा।
- (6) एक अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग का एक रजिस्ट्रीकृत बंधक ऐसे बंधक रे रिकॉर्ड की तारीख के पश्चात् बंधकदार द्वारा किए गए दिवाला के किसी भी कार्य से प्रभावित नहीं होगा, उसके दिवालियापन के प्रारंभ पर, उसके कब्जे या आदेश में अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसका भाग या निक्षेप या उसका प्रतिष्ठित स्वामी था और बंधक को उसके

नियमित दिवालिया या किसी भी ट्रस्टी या संपत्ति भागी के अन्य लेनदारों के किसी भी अधिकार, दावे या ब्याज के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

- (7) (क) एक अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग का एक रजिस्ट्रीकृत बंधक किसी भी व्यक्ति को अन्तरित किया जा सकता है और अन्तरण को प्रभावित करने वाला लिखत प्ररूप अनुज्ञात ऐसी परिस्थितियों में प्ररूप सं.10 में होगा और ऐसे लिखत को दिए जाने पर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इसे अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग को बंधक के रूप में अन्तरणकर्ता का नाम रजिस्ट्रीकरण बही में रिकॉर्ड करेगा और अपने हस्ताक्षरित ज्ञापन द्वारा, अन्तरण के लिखत पर अधिसूचित करेगा कि यह रिकॉर्ड के दिन और घंटे को बताते हुए उसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया है।
- (ख) ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसा बंधक अन्तरित किया गया है, प्राथमिकता के ऐसी अधिकारों का वैसे ही प्रयोग करेगा जैसा कि अन्तरणकर्ता प्रयोग करता था।
  - (ग) बंधक का निवेदन सुजित करने वाला कोई लिखत इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 11 में होगा।

#### प्ररूप संख्या-1

[धारा 5(4) और 5(10) देखिएं]

#### रजिस्ट्रीकरण बही

रजिस्ट्रीकरण संख्या:			
जलयान का नाम:			
रजिस्ट्री पत्तनः	रजिस्ट्री वर्ष		
स्वामी का नाम:			
स्वामी का पता:			
अन्तर्देशीय जलयान का विवरण			
कार्गो जलयान या यात्री आदि का प्रकार	श्रेणी		
सकल भाररजिस्ट्रीकृत १	भार		
जलयान का ब्यौरा			
संपूर्ण लंबाई			
संपूर्ण चौड़ाई			
जलयान के डेक के भीतर और बल की गहराई			
निर्माता का नाम और पता			
निर्माण वर्ष			
हल वुड, स्टील आदि का प्रकार			
डेकों की संख्या			
बल्क हेड की संख्या			
संव्यवहार			
उस व्यक्ति का नाम जिससे यह हक है घंटे लिया गया है	प्रभावित शेयरों की संख्या	^	और
इंजिन			
आंतरिक दहन इंजिन संख्या			

विवरण	
सेटों की संख्या	
द्वारा निर्मित	
निर्माण वर्ष	
प्रति सेट सिलेंडरों की संख्या	
सिलेंडर का ब्यास (इंच में)	
स्ट्रोक (इंच में)	
एन.एच.पी	बी.एच.बीआई.एच.पी
प्रणोदन	
प्रणोदक प्रकार: एकल स्क्रू/ दोहरा स्कृ	कू/ साइड क्वार्टर/ चालन योग्य रडर प्रणोदक/विओथ/ वाटर जेट/ ओबिएम आदि
प्रति मिनट घूर्णन (आरपीएम)	जलयान की गति
 गियर युक्त प्रणोदन अथवा प्रत्यक्ष च	
प्रणोदन प्रकार: ऑयल इंजिन या वि	
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	
तिथि	
 रजिस्ट्रीकरण के उत्तरवर्ती	
संव्यवहार की प्रकृति और तिथि	
नाम, आवास और उपजीविका	
हकदारी अथवा अधिकार प्राप्त करने	वाले अंतरिती या बंधकदार अन्य व्यक्ति के संव्यवहार की संख्या
	प्ररूप सं. 2
	रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
	्र [धारा 4 देखिएं]
सेवा में	F
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार,	
— मैं,	
निवासी	
अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी होने	के नाते
अनुरोध करता हूं कि उक्त जलयान व	n में रजिस्ट्रीकरण किया जाए।
मैं इन नियमों के अधीन यथा संदेय प	तीस संदत्त करने के लिए सहमत हूं। उक्त जलयान के संबंध में विशिष्टियां प्रकार है: -
1. स्वामी का पूरा नाम औ	ार पता
? उपनीतिका	

- स्वामी का नाम और उसके प्रमाणपत्र की संख्या 3.

4.	रजिस्ट्री का नाम और संख्या, यदि पूर्व में रजिस्ट्रीकृत हो
5.	कब और कैसे जलयान प्राप्त किया गया
6. वर्ष	जलयान का प्रकार यथा मोटर, इंजिन निर्माता का नाम और पता और साथ ही होर्स पावर, गति और निर्माण
7.	स्थान और निर्माण वर्ष सहित निर्माताओं का नाम और पता
8.	बीमा प्रमाणपत्र का ब्यौरा
9.	संलग्नक:-
	द्वारा घोषणा कि इस अधिनियम के उपबंधों और उनके अधीन बनाए नए नियमों का अनुपालन किया गया है; णपत्र की नकल/सर्वेक्षण का अनंतिम प्रमाणपत्र;
(ख) जलयान	। के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के संदाय के साक्ष्य वाली चालान रसीद;
(ग) जलयान	के तृतीय पक्ष बीमा प्रमाणपत्र की समयक् रूप से हस्ताक्षरित प्रति;
(घ) नए जल	यानों के लिए निर्माता का प्रमाणपत्र;
(ड.) विक्रय	लिखत (पुराने जलयानों के लिए);
(च) बंधक क	न ब्यौरा (प्ररूप संख्या 19 और प्ररूप संख्या 20);
छ) स्वामित्व	ा की घोषणा । (प्ररूप संख्या 12)
स्थान:	
तारीख:	जलयान के स्वामी का हस्ताक्षर
	प्ररूप सं. 3
	स्वामित्व की घोषणा
	[नियम 5(1)(क) देखें ]
मैं/हम …	
	स्थायी रूप से निवासी
	गार का स्थान है
कि इस नाम इसे मेरे द्वार पर	घोषित करता हूं । का जलयानजिसका निर्माण स्थल हैनिर्माण का वर्षऔर । इस तारीख को खरीदा गयाइसका मूल्य रुपएहै और इसे अपने नाम पत्तन में रजिस्ट्रीकृत करना चाहता हूं और मैं ही इसका स्वामी हूं।
स्वामी के हर	
	दिन को उक्त नामद्वारा थित में की गई।
मजिस्ट्रेट/नो	टरी पब्लिक/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पण :- किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक अथवा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष घोषणा की जाएगी।

#### प्ररूप सं.4

# रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अंतर्देशीय जलयान के निरीक्षण के लिए तारीख और समय नियत किया जाना [नियम 5(5) देखें]

तारीख:
संदर्भ सं.:
सेवा में,
अंतर्देशीय जलयान के स्वामी/मास्टर
महोदय/महोदया,
अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 के अधीन उपरोक्त नाम के जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आपके आवेदन की पावती अभिस्वीकृति देते हुए, यह सूचित किया जाता है रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या सर्वेयर जलयान के फलक पर <u>,</u> 20 के उपस्थित होंगे।
आपसे अनुरोध है कि अंतर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या सर्वेयर को सभी युक्तियु <del>त्त</del> सुविधाएं और जलयान के संबंध में ऐसी सभी जानकारी उपलब्ध कराएं जो उन्हें रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो।
भवदीय
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
अंतर्देशीय जलयान
प्ररूप सं. 5
कार्विंग और मार्किंग नोट
[नियम 5(8) देखें]
तारीख:
संदर्भ सं.:
सेवा में,
अंतर्देशीय जलयान के स्वामी या मास्टर
महोदय/महोदया,

यह पत्र उपरोक्त नाम के जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आपके आवेदन और इन नियमों के नियम 6 के अधीन संचालित की गई जलयान की पश्चातवर्ती जांच के संदर्भ में है। आपको परामर्श दिया जाता है कि आप इन नियमों के नियम 9 के अनुसार जलयान के हल पर निम्नलिखित चिह्न अंकित करें:

जलयान का नाम:	
अधिकारिक सं	
रजिस्ट्रीकरण का पत्तन:	रजिस्ट्रीकरण का वर्ष:
	पपेक्षित अंकन की समाप्ति के उपरांत जलयान के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ के करें (जो किसी भी स्थिति में इस पत्र के जारी किए जाने से पंद्रह दिन के बाद
कृपया यह भी सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्रीव मूल रूप में वापस लौटाना जाना अपेक्षित है।	करण प्रमाण-पत्र को जारी किए जाने के समय पर आपके द्वारा यह अंकन नोट
भवदीय	
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	
अंतर्देशीय जलयान	
	प्ररूप सं. 6
परिवर्तन	के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुरोध/आवेदन
	[नियम 9(3) देखें]
सेवा में,	
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी,	
——————————— महोदय/महोदया,	
मैं,	
नामित अधिकारिक सं कि जलयान में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए	के अंतर्देशीय जलयान का स्वामी होते हुए सूचित करता हूं हैं
1.	
2.	
3.	
	—————————————————————————————————————
मैं मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र सं.—	भी संलग्न कर रहा हूं।
तारीख	(स्वामी के हस्ताक्षर)
परिवर्तन सत्यापनकर्ता (सर्वेयर का नाम और ह	हस्ताक्षर)
तारीख:	
	प्ररूप सं. 7

प्ररूप सं. 7 रजिस्ट्रीकरण के स्थानांतरण के लिए आवेदन [नियम 10(3) और नियम 11(2) देखें]

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

मैं,	 िििििििि	
जलयान का रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्री	र में कर दिया जाए। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न है।	
स्थान तारीख	रु. का ट्रेजरी चालान भी संलग्न है।  स्वामी के हर	<sub>म्ता</sub> क्षर

# प्ररूप सं. 8 रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र [नियम 6(1) देखें] जलयान की विशिष्टियां

[रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के ब्यौरे] ......द्वारा जारी।

अधिकारिक संख्या	जलयान का नाम	रजिस्ट्रीकरण सं., तारीख	पूर्व रजिस्ट्रीकरण सं., तारीख
		और पत्तन	और पत्तन (यदि कोई है)
क्या भारतीय है या विदेश	क्या स्व-प्रणोदित है	कहां निर्मित हुआ	निर्माताओं का नाम और पता
निर्मित	या प्रणोदक प्रकार का	, ,	
डेकों की संख्या	लम्बाई		मीटर
स्टेम	बाहरी प्लेटिंग की चौड़ाई		
स्टेर्न	मोल्डेड गहराई		
सामग्री विवरण	इंजन – कक्ष की लम्बाई (यदि के	ोई है)	
बल्कहैडों की संख्या	,		

## प्रणोदक इंजनों और मशीनरी की विशिष्टियां, जैसे की निर्माताओं, स्वामियों या इंजन निर्माताओं द्वारा आपूर्ति की गई है

इंजन के सेटों के संख्या	इंजनों के विवरण	क्या भारतीय निर्माण है या विदेशी	कब निर्मित हुआ	निर्माता का नाम और पता	प्रत्यागामी इंज	न <b>न</b>	घूर्णन इंजन	बी.एच.पी. जलयान की अनुमानित गति
					प्रत्येक सेट में सिलेंडरों की संख्या	सिलेंडरों का व्यास	प्रत्येक सेट में सिलेंडरों की संख्या	

शाफ्टों की संख्या		इंजन	इंजन	इंजन		
				स्ट्रोक की लंबाई		
बॉयलरों की	विशिष्टियां					
वर्णन						
संख्या						
भारित दबा	व					
			टनभार की वि	शिष्टियां		
इस जलयान	न का टनभार भार	रतीय टनभार प्रमाण	ा-पत्र के अनुरूप इ	इस प्रकार है:-		
सकल टनभ	ार	टन	•	·		
निवल टनभ	गर	टन				
इस जलयान	न के लिए टनभार	:का विस्तृत विवरण	सर्वेक्षण के प्रमाण	ा-पत्र में दर्शाया गया है		
कर्मीदल की	संख्या जिनके लि	रेए स्थान-सुविधा प्र	माणित की गई है			
				ोकरण करने वाला प्राधिका		
				उसका सशक्त रूप से सर्वेक्ष जिसकी से		
संख्या	है, उक्त जलया	न का मास्टर है, औ	र यह कि नाम …			, स्वामी का
			, और उ ————	हसके द्वारा धारित दसवें शेयर	रो की सख्या इस	प्रकार है:- ——
स्वामी का र	नाम आवास और	उपजीविका		दसवें शेयर की संख्या		
		_				
				शे हजार		
		रजिस्ट्रीकरण प्राधि		ों स्वामित्व के सभी परिवर्त	ें <del>की मन्तर</del> अ	निकर्ण कर से

सूचना - रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र हक का दस्तावेज नहीं है। इसमें स्वामित्व के सभी परिवर्तनों की सूचना अनिवार्य रूप से शामिल नहीं है, और किसी भी मामले में इसमें जलयान को प्रभावित करने वाले किसी भी बंधक का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में सभी पक्षों के हितों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन को विधि के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए। स्वामित्व, पते या अन्य रजिस्ट्रीकृत विवरणों में परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को दी जानी चाहिए। क्या जलयान वास्तव में या रचनात्मक रूप से खो गया है, दुश्मन द्वारा लिया ले गया है, जला दिया गया है या टूट गया है या किसी भी कारण से यह भारतीय जलयान के रूप में बंद हो गया है, जिसकी सूचना, साथ ही रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र यदि अस्तित्व में है, तुरंत रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को दी जानी चाहिए।

## प्ररूप सं. ९

#### बंधक सूजन करने वाली लिखत

[नियम 13(1) देखें]

जलयान का नाम			शासकीय सं	
	ोकरण प्रमाण-पत्र संरजिस्ट्रीकरण का स्थान			
रजिस्ट्रीकरण की तारीख				
जलयान का वर्णन (क्या यांत्रिक श	क्ति द्वारा चालित	है):		
इंजन की हार्स पावर:				
हल (पहचान के लिए लम्बाई				
उपस्कर:				
नौका	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	
सं.1				
सं.2				
सं. 3				
सकल रजिस्ट्रीकृत टनभार		शुद्ध र्रा	जेस्ट्रीकृत टनभार	
सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र और रजिस्ट्री ब	ही में अधिक ब्यौरे	वर्णित किए हैं	· -	
<i>मैं/हम</i> अद्योहस्ताक्षरी( <i>बंधककर्ता य</i>	ा बधककर्ताओं का	पूरा नाम और	पता वर्णन सहित <u>)</u>	
		द्वारा ( <i>बंधकग्रा</i>	ही का पूरा नाम, पता और वर्णन, यदि संयुक्त बंधकग्रा	ही
•		• .	<i>नी है, तो उसका पूरा नाम और पता दिया जाएगा)</i> द्वा	रा
इस दिन प्रतिफल में उधा				
मै/हम				
 की ओर से प्रसंविदा करता हूं ।	के साथ मेरे	7/हमारे और मे	रे/हमारे उत्तरवर्तियों, निष्पादनकर्ताओं अथवा प्रशासव	हों
• •	रसर्वाओं से सर्गान	ं गर्निन गरा न	<i>ाम और पता} या <b>मेरे∕हमारे</b> उत्तरवर्ती ,</i> निष्पादक, ं	лт
			<i>ाम आर पतार्रू</i> या <b>में एहमार</b> उत्तरवता , ानष्पादक, राशि परप्रतिशत की दर से ब्याज सहित प्र	
			को उक्त राशि का संदाय करेंगे.	
नहीं किया जाता है, या हम /हमा उसके ऐसे भाग पर जो तत्समय अर वर्ष की को प्रति वर्ष	रे उत्तरवर्ती ऐसे स् नंदत्त रहती है, उस प्रतिशत की दर	तमय जो उसी के/उनके/अपने र पर छ्हमाही	ा बंधककर्ताओं के वर्णन सहित पूरा नाम और पता) व उसके किसी भाग के दौरान असंदत्त रहती है, संपूर्ण समनुदेशितियों कोतारीख वर्ष मास वह प्रत्ये संदायों के बराबर ब्याज का संदाय करेंगे और उक्त मृ की बेहतर प्रतिभूति देने के लिए हम उक्तऐ	या ोक गूल
शेयर/शेयरों का बंधक रखते हैं जिन	के हम ऊपर विशि	ष्टतया वर्णित ज	जलयान में और उसकी नौकाओं तथा अनुलग्नकों में स्वा	मी

हैं।				
अंत में <i>, मैं/हमअपने लिए/हमारे</i>				
 उल्लिखित शेयरों को उपरोक्त रीति				
विल्लंगम है, तो स्पष्ट करें, "उक्त जल				
इसके साक्षी में, <i>मैंने/हमने</i> यहां अ ( <i>बंधककर्ता या बंधककर्ताओं के व</i>				
की उपस्थिति में निष्पादित किया है	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	( 1(11) 1/1 \(\)	141 174 3114 3 14114	i αι \ i,
साक्षी 1 (नाम, पूरा पता और हस्ता	क्षर, मुहर)			
साक्षी 2 (नाम, पूरा पता और हस्ता	क्षर, मुहर)			
बंधककर्ता (कंपनी या निगमित निक	ाय द्वारा) (मूल राशि अं	गैर ब्याज प्राप्त	करने के लिए)	
जलयान का नाम	શ	ासकीय संख्या		
रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र सं	र	जिस्ट्री का स्थान	₹	
रजिस्ट्री की तारीख				
जलयान का वर्णन (चाहे पूरी है):				
हल (पहचान के लिए लंबाई			)	
उपस्कर:				
नौका	लम्बाई चौड़ा	ई गहर	ाई	
सं.1				
सं.2				
सं.3				
सकल रजिस्ट्रीकृत टनभार		_शुद्ध रजिस्ट्रीव	कृत टनभार	और
जैसा कि सर्वेक्षण के प्रमाण-पत्र और	रजिस्ट्री की बही में अधि	धेक ब्यौरे वर्णित	न है ।	
हम, (कंपनी का पूरा नाम इसके क				
संयुक्त बंधकों का संबंध है, तो उनक ने अपने लिए और हमारे उत्तरवि	। वर्णन किया जाएगा, य ग्रिपें ते उक्क	पदि बंधककर्ता ।	एक कंपनी है, पूरा श हे	षिक_और पता दिया जाएगा <i>)</i> के साथ प्रसंविदा की है, और
उसके/उनके/उसके समनुदेशितियों व	को सबसे पहले, कि <b>ह</b> ग्	म या हमारे उ <sup>.</sup>	त्तरवर्ती, उक्त को सं	दाय करेंगे
या उसके/उनके/उसके द्वार	ा की <sup>र</sup>	उक्त राशि को स	ामनुदेशित किया जा <sup>त्</sup>	ता है, तो हमारे द्वारा उसे एक
साथ उस परप्रतिशत की दर अगले के बाद के दिन के अनुसार भुग			ों के भुगतान के लिए	र नियत दिन का उल्लेख करें)
<i>द्वितीयत:</i> , यदि उक्त मूल राशि का			ि ऐसे समय जो उसी	। उसके किसी भाग के दौरान
असंदत्त रहती है, संपूर्ण या उसके ऐ	ऐसे भाग पर जो तत्सम	य असंदत्त रहर्त	ो है, उसके/उनके/अप	पने समनुदेशितियों को प्रत्येक
वर्ष की तारीख को प्रति वर्ष,.	प्रतिशत की दर	ॱपर, छहमाही ।	सदायों के बराबर ब्य	गज का संदाय करेंगे और उक्त

दितीयत:, यदि उक्त मूल राशि का सदाय उक्त दिन, हम/हमारे उत्तरवर्ती ऐसे समय जो उसी उसके किसी भाग के दौरान असंदत्त रहती है, संपूर्ण या उसके ऐसे भाग पर जो तत्समय असंदत्त रहती है, उसके/उनके/अपने समनुदेशितियों को प्रत्येक वर्ष की ...... तारीख को प्रति वर्ष,........ प्रतिशत की दर पर, छहमाही संदायों के बराबर ब्याज का संदाय करेंगे और उक्त मूल राशि और ब्याज का पूर्वोक्त रीति में प्रति संदाय को उक्त ........की बेहतर प्रतिभूति देने के लिए हम उक्त .....ऐसे शेयर/शेयरों का बंधक रखते हैं जिनके हम ऊपर विशिष्टतया वर्णित जलयान में और उसकी नौकाओं तथा अनुलग्नकों में स्वामी हैं।

अंत में, *मैं/हमअपने लिए/हमारे लिए* और *मेरे/हमारे* उत्तराधिकारियों, निष्पादकों या प्रशासकों के लिए उक्त

और उनके समनुदेशितों के साथ अनुबंध करते हैं कि मुझे/हमारे पास उपर्युक्त
उल्लिखित शेयरों को उपरोक्त रीति में बंधक रखने की शक्ति है, और यह कि वे सभी विल्लंगमों से मुक्त है ( <b>यदि कोई पूव</b> विल्लंगम है, तो स्पष्ट करें, "उक्त जलयान के रजिस्ट्रीकरण की पुस्तक में उपदर्शित के सिवाय <u>")।</u>
इसके साक्षी में हमने के दिनको यह अपनी सामान्य मुहर लगाई है और
्रतयः ताजा म हमन
<b>वर्णन</b> ) इसके साथ में लगा दी गई है.
प्ररूप सं. 10
व्यष्टि या संयुक्त स्वामियों द्वारा बंधक अंतरण सृजन लिखत
ु [नियम 13(7)(क) देखें]
<b>मैं/हम</b> जिनका उल्लेख इस प्रकार हैपुत्र
इस पर विचार करते हुए
दारा संदत्त,
<i>उसे/उन्हें/इसे</i> लिखित प्रतिभूति के भीतर लाभ अंतरित करता/करते हूँ/हैं.
इसके साक्षी रहते हुए <i>मैंने/हमने</i> एतदद्वारा <i>अपना/हमारा</i> इस दिन लगा दी या और इनकी उपस्थिति में <i>(कम-से-कम दो साक्षियों के नाम, पता और हस्ताक्षर)</i> उक्त नामित
व्यक्तियों को निष्पादित कर दिया है ।
(कंपनी द्वारा अथवा निगमित निकाय द्वारा)
इसमें उल्लिखित इस दिन इसको विचारण में इस दिन इसका संदाय द्वारा कर दिया है और उसे/उन्हें/इसे इस लिखित प्रतिभूति के भीतर लाभ अंतरित करता हूँ.
इसके साक्षी रहते हुए हमें अपनी साझा मुहर इस पर के दिन चस्पा कर दी है.
की साझी मुहर इनकी उपस्थिति में लगाई गई (यथास्थिति, कम-से-कम दो साक्षियों, निदेशको, सिचव के हस्ताक्षर और वर्णन)
टिप्पणी - बंधक के अंतरण के मामले में इसे उपर्युक्त प्ररूपों में पृष्ठांकन द्वारा किया जाएगा.
प्ररूप सं. 11
बंधक का उन्मोचन सृजित करने वाला लिखत
[नियम 13(7)(क) देखें]
बंधक संदत्त किए जाने के मामले में, इसके उन्मोचन के ज्ञापन के लिए निम्नलिखित प्ररूपों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
व्यष्टि या संयुक्त स्वामियों द्वारा
लिखित प्रतिभूति के भीतर इसके उन्मोचन मेंर. की राशि प्राप्ति की, दिनांक दिन,20
(*) न्यूनतम दो साक्षियों का नाम और हस्ताक्षर.
कंपनियों अथवा निगमित निकाय द्वारा
लिखित प्रतिभूति के भीतर उन्मोचन के लिए की राशि प्राप्त की.
इसके साक्षी रहते हुए हमें अपनी साझा मुहर इस पर के दिन लगा दी है.
की साझी मुहर इनकी उपस्थिति में लगाई गई (कम-से-कम दो साक्षियों अर्थात् निदेशक, सचिव

आदि के हस्ताक्षर और वर्णन)

#### प्ररूप सं. 12

## रजिस्ट्रीकरण के अनंतिम प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए आवेदन [नियम 6(4) देखें]

सेवा में,			
रजिस्ट्रीव	तरण प्राधिकार <u>ी</u>		
<del></del>			
		का स्वामी/मास्टर होने के नाते	
अनंतिम		कारण (णों) से उक्त जलयान रपर रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण-पत्र	
मैं उस शु हैं:	ल्क का भुगतान करने के लिए सह	मत हूं, जो इन नियमों के अंतर्गत संदेय है I उक्त जलयान के विवरण निम्नानुसार	
1.	स्वामी का नाम और पूरा पत	т	
2.	व्यवसाय		
3.	मास्टर का नाम और उसका	प्रमाण-पत्र सं. (यदि लागू है)	
4.	रजिस्ट्री का नाम और संख्या	यदि पहले रजिस्ट्रीकृत है	
5.	जलयान कब और कैसे प्राप्त ी	केया गया	
6. सहित	जलयान का प्रकार अर्थात मे	टर, इंजन निर्माताओं का नाम और पता, हॉर्स पावर, गति और निर्माण के वर्ष	
7.	निर्माताओं का नाम और पत	तथा निर्माण का स्थान और वर्ष	
8.	बीमा प्रमाण-पत्र के विवरण	संलग्नक :-	
क) दूसरी प्रा		म और इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया गया है; सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र की	
ख) भुगतान	चालान रसीद जो इस बात का स कर दिया गया है।	ाक्ष्य है कि जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुसूची में यथानिर्दिष्ट ऐसी फीस का	
ग)	जलयान के तृतीय पक्षकार बीमा	प्रमाण-पत्र की सम्यक रूप से प्रमाणित प्रति।	
घ) नए जलयानों के लिए निर्माता का प्रमाण-पत्र।			
ड) विक्रय	ा का लिखत (बरते हुए जलयानों	हेतु)	
च) बंधक	ब्यौरे (प्ररूप सं. 19 और प्ररूप व	т. 20)	
छ) स्वारि	मेत्व की घोषणा		
स्थान:			
तारीख:		जलयान के स्वामी/मास्टर के हस्ताक्षर	

#### प्ररूप सं.13

## रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण-पत्र

[नियम 6(4) देखें]

तारीख 2020	के पूर्व या की समापि	ते पर (पाद टिप्पण	1 देखें)
------------	----------------------	-------------------	----------

पूर्व रजिस्ट्री की सं., तारीख और पत्तन (यदि कोई है)

प्रणोदित/नोदित

क्या

प्रकार का है

[रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के विवरण]	द्वारा जारी किया
जलयान के विवरण	

निर्माण स्थान

जलयान का नाम

निर्माता का नाम और

पता

डेकों की संख्या	लम्बाई		मीटर	
स्टेम	प्लेटिंग के बाहर चौडा	ई		
स्टेम	मोल्डेड गहराई			
सामग्री वर्णन	इंजन-कक्ष की लम्बाई	(यदि कोई है)		
बल्कहैडों की संख्या				
नोदित इंजनों और मशीन	री के विवरण, जैसी निम	ता, स्वामी या इंजन निर्माता द्वा	रा आपूर्ति की गई है.	
इंजनों की संख्या:				
संयुक्त पावर:				
इंजन निर्माता का नाम और	पता :			
टनभार की विशिष्टियां				
भारतीय टनभार प्रमाण-पत्र के अनुसार इस जलयान का टनभार निम्नानुसार है:-				
सकल टनभारटन				
शुद्ध टनभारटन				
- सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र पर उपदर्शित इस जलयान हेतु टनभार के संक्षेप ब्यौरे				
22				
ऐसे कर्मीदल की संख्या जिसका आवास सत्यापित है				

मैं, अधोहस्ताक्षरी,राज्य के बंदरगाह पर रा	जिस्ट्रीकरण करने वाला प्राधिकारी यह प्रमाणित करता हूँ कि
	पहले लगा हुआ है, का विधिवत सर्वेक्षण किया गया है, और यह
	जिसको सेवा योग्यता का प्रमाण-पत्र संख्याहै, उक्त
	, मालिक का निवास और
वर्णन, और उसके द्वारा	
	•
स्वामी का नाम, आवास और व्यवसाय	दसवें शेयर की संख्या
<del></del>	
तारीखमा	ह दा हजार आर
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	
टिप्पण 1: - अंतर्देशीय जलयान अधिनियम <i>2021</i> की धारा	27(2) के उपबंधों के अधीन जारी अनंतिम रजस्ट्रीकरण प्रमाण-
पत्रदिन20 तक प्रवृत्त रहेगा ।	
11	
	[फा.सं. आईडब्लूटी-11011/91/2021-आईडब्लूटी]
	सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यिकी)
	3 3

# MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2022

**G.S.R. 421(E).**—Whereas draft of the Inland Vessels (Registration and other Technical issues) Rules, 2022 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 144(E) dated the 22<sup>nd</sup> February, 2022, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), by Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India inviting the objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 22<sup>nd</sup> February, 2022;

And, whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 21, section 22, sub-sections (1) and (2) of section 23, sub-section (2) of section 24, sub-section (2) of section 27, sub-section (2) of section 29, sub-section (1) of section 32, sub-sections (2) of section 33 read with clauses (n) to (x) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- **1. Short title and Commencement.**—(1) These Rules may be called the Inland Vessels (Registration and other technical issues) Rules 2022.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Scope and Application.** (1)Any inland mechanically propelled vessel, which is required to be registered under section 17 of the Act shall not proceed on any voyage or be used for any service, unless it has a certificate of registration in force in respect thereof and granted under section 24 of the Act.

- (2) Every certificate of registration issued in respect of a mechanically propelled vessel under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), shall be valid and effective as a certificate of registration issued under the Act and the relevant provisions of the Act shall apply in relation to such vessel as they apply to an inland mechanically propelled vessel registered under these regulations and the Act.
- 3. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
- (a) "Act" means Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021);
- (b) "enquiry" means the process of inspection of the vessel, her machinery and articles on board and verification of records of the vessel by the registering authority for the purpose of registration;
- (c) "major conversion or modification" means any of the following -
  - (i) change in gross tonnage of the vessel by more than ten percent;
  - (ii) change of vessel type; or
  - (iii) change of propulsion system or main engines or type of fuel.
- (d) "main drawings of the vessel" means the following -
- (i) general arrangement;
- (ii) main structural plans: midship section, profile and decks, shell expansion; and
- (iii) machinery layout details including the propulsion system.
- (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- **4. Application for registration.** An application for registration of an inland mechanically propelled vessel shall be submitted in Form No. 2 appended to these rules by the owner or master of the vessel with such particulars as required under Rule 7 of these Rules.

#### 5. Procedure for registration

- (1) The owner or master of an inland vessel wishing to have it registered at a place of registry in the State shall make an application for registration under Rule 4 and submit the same to the concerned Registering Authority: -
- (a) declaration that the provisions of the Act and these rules have been complied with;
- (b) declaration of ownership in Form No. 3 appended to these rules;
- (c) For new vessel: -
  - (i) a certificate signed by the builder (builder's certificate) of the vessel containing a true account of the proper dimensions, particulars and of the tonnage of the vessel as estimated by him and the time and the place where the vessel was built;
  - (ii) inspection certificate issued by the surveyor along with approved main drawings of the vessel;
  - (iii) in case of a new vessel under construction, the builder's certificate may be submitted forthwith upon issue by the respective organisation after the completion of the vessel;
- (d) in the case of vessels subjected to major conversion or modification, builder's certificate and inspection certificate issued by the surveyor along with approved main drawings of the vessel;
- (e) the instrument of sale under which the title of the vessel was transferred to the applicant who requires it to be registered in his name, (for second hand vessel);
- (f) certificate of survey if issued by the designated authority or the provisional certificate of survey issued by the Surveyor;
- (g) challan receipt evidencing payment of fee as prescribed by the State Government; and
- (h) details of mortgage, if any.
- (2) Copy of certificate of insurance, issued in compliance with the Inland Vessels [Insurance, Limitation of Liability, Inquiry and Investigations, Obligations of Service Providers and Service Users and Allied Matters]

Rules, 2022 shall be submitted forthwith, when the vessel is insured as per the said rules before plying or trading.

Explanation: - For the purposes of sub-rule (2), the vessel shall be insured after registration is done and insurance company shall be given the identity details of the vessel and the proof of registration of the vessel, certificate of survey and such other documents required by the insurance company.

- (3) For the purposes of these rules, the Certificate of Survey shall be submitted forthwith when issued by the designated authority.
- (4) The Registering Authority on receipt of the application for registration of the vessel under rule 4, shall approve the name that has been requested for, after ensuring from the records and Central Data Base that there is no other vessel registered in the same name and once the name is allotted, the Registering Authority shall also allot an official number for the vessel, which shall be recorded in the Book of Registration as per Form No 1 appended to these rules and the Central Data Base.

Provided that the Registering authority shall communicate the approval of name to the applicant within 30 days from the date of receipt of the last document from the applicant.

- (5) Subject to submission of the requisite details and documents by the applicant in compliance with these rules, the Registering Authority shall give a notice to the applicant in Form No. 4 appended to these rules, informing the time and date of the enquiry in respect of the vessel.
- (6) For the purpose of enquiry under these rules, the designated authority or such other person appointed or authorised by the respective State Governments may -
- (a) inspect the vessel or any part thereof or any machinery therein or any article therein relevant to the purpose of such enquiry;
- (b) call for any records from the owner or master of the vessel and examine it in so far as such records are relevant for the purpose of such enquiry; and
- (c) have such assistance as it deems fit for the purpose of such inspection.
- (7) For the purpose of enquiry under this rule, the owner, the master and every member of the crew of the vessel shall provide all reasonable facilities for conducting the enquiry and shall also furnish such information as may be required by the authority empowered under sub-rule (6).
- (8) Upon ascertaining that the procedures enumerated under this rule have been complied with by the applicant, the Registering Authority shall issue a carving and marking note in Form No. 5 appended to these rules.
- (9) The carving and marking note shall be returned to the Registering Authority after carrying out the carving and marking on the vessel, which shall be certified by a Surveyor.
- (10) Upon ascertaining that the applicant has complied with these rules, in completing the requirements for registration, the Registering Authority shall enter the particulars of the inland vessel in Form No. 1 appended to these rules.

#### 6. Grant of certificate of registration

- (1) If, in respect of any inland mechanically propelled vessel, the registering authority, after making such enquiry as required under rule 5, is satisfied that the provisions of the Act or of any rules made thereunder have been complied with, shall grant to the applicant thereof a certificate of registration in Form No. 8 appended to these rules retaining the certificate of survey or provisional certificate of survey, builders certificate, instrument of sale by which the vessel was sold, and the declaration of ownership.
- (2) The certificate of registration may also be in electronic form.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the designated authority may -
- (a) permit any mechanically propelled inland vessel, built at any place other than a port or place of registry, to make her first voyage through the inland waters to any such port or place for the purpose of registration; or
- (b) permit the vessel registered under any law for the time being in force in India for which provisions have been made under the Act to conduct voyage within the inland waters; or

- (c) permit any mechanically propelled vessel registered under such laws of countries other than India to ply within the inland waters, subject to terms and conditions as may be specified by the Central Government, from time to time by general guidelines.
- (4) A provisional certificate of registration may be issued in Form No. 13 appended to these rules on receipt of an application in Form No. 12, in accordance with section 27 of the Act pending issuance of the certificate of registration and during the period of validity of the provisional certificate of registration, the owner or master shall implement and comply with all necessary steps to be taken to have the vessel registered under Chapter V of the Act.
- (5) It shall be the duty of the owner or master of the inland vessel to produce certificate of registration or provisional certificate of registration as the case may be on demand by the authority engaged in the enforcement of Act and rules made thereunder.
- (6) A registering authority may refuse to register any inland vessel, if she is found to be mechanically defective, or if the applicant fails to furnish satisfactory evidence in support of any of the statements made in the application for registration, provided that where the registering authority refuses to register any inland mechanically propelled vessel, it shall furnish to the applicant a statement in writing containing the reasons for such refusal.

#### 7. Duplicate of the certificate.—

- (1) The authority which has issued the certificate of registration, shall issue a duplicate of the certificate of registration to replace a certificate lost, destroyed or mutilated, subject to payment of such fees as prescribed by the State Government.
- (2)Provided that no such duplicate certificate shall be issued unless -
- (a) in the case of a certificate lost, it is proved to the satisfaction of the Registering Authority that all measures possible for tracing out the lost certificate have been exhausted;
- (b) in the case of a certificate destroyed, such authority is satisfied after due enquiry that the certificate has actually been destroyed; and
- (c) in the case of mutilated certificate, the owner delivers up such mutilated certificate to the authority.
- (3) Every duplicate of the certificate shall, on the face of it, be stamped with the word 'Duplicate' in red ink.
- (4) Subsequent to the issuance of a duplicate certificate, if the original certificate is found, the latter shall be delivered to the issuing authority which shall cancel the certificate and record the same in the records.

#### 8. Marking of Inland mechanically propelled vessels.—

- (1)Where an inland vessel has been registered under these rules, the registering authority shall assign registration mark to such vessel, to be displayed conspicuously comprising of registration number, port of registry and name of such vessel.
- (2) Every registered vessel shall bear the following identification marks on its hull -
- (a) name of vessel shall be inscribed on each bow and stern of the mechanically propelled vessel and in the case of barges or vessels which are not self-propelled, the name and official number shall be inscribed on each bow;
- (b) registration number and year of registration shall be inscribed on the main superstructure and engine room bulkhead or main beam in the inland vessels; and
- (c) place or Port of registry shall be inscribed on the stern or transom.
- (3)The identification mark shall be inscribed not less than 200mm x 150mm (height x breadth) with each letter 25mm wide and shall be carved or marked or welded in light colour on a dark background or in a dark colour on a light background.
- (4)Inland vessels registration marks shall be carved or marked on its main beam or any permanent bulkhead at a prominent place.
- (5)Additionally, every vessel shall be painted and displayed on a fixed board, exhibited on the upper deck, the following information -

- (a) gross tonnage;
- (b) maximum permissible number of passengers;
- (c) name of the owner;
- (d) date of last renewal survey; and
- (e) loaded draft and deadweight tonnes in case of cargo vessels.
- **9. Registration of alterations and modifications.** (1) No alteration or modification which affects the strength, stability or safety of the vessel shall be made without the prior approval of the Designated Authority.
- (2) When an inland vessel is so altered, as not to correspond with the particulars relating to her or the description entered in the certificate of registration; then the owner of the vessel shall, within 30 days, make a report of such alteration or modifications to the registering authority of the place where the vessel is registered, along with the respective certificate of survey.
- (3) The report under sub-rule (2), shall be made in Form No. 6 appended to these rules and shall contain particulars with respect to the alteration or modifications and shall be accompanied by the certificate of registration in force in respect of the vessel at the time of the report.
- (4) The registering authority, on receipt of the report under sub-rule (2) and on payment of the prescribed fee as notified by the State Government, shall either cause the alteration to be registered or direct that the vessel be registered anew.
- (5)The registering authority in deciding whether alteration or modifications shall be entered in the certificate of registration or whether the inland vessel shall be registered a new shall be guided by the following considerations -
- (a) whenever any material alteration is made in the hull affecting the length or breadth or depth of the inland vessel or wherever there is alteration in the means of propulsion including addition or removal of an auxiliary engine, the vessel shall require new registration; and
- (b) where the alteration consists merely of a change in the dimensions of enclosed space, the addition or removal of poop or deckhouse etc. or an allowance or disallowance or crew space of other similar change, the registering authority may allow such alteration to be entered into the certificate of registration, provided it is verified by the designated Authority that the stability of the vessel is not endangered thereby.
- (6)Where the registering authority directs that the vessel be registered anew, it shall either grant a provisional certificate describing the vessel as altered or endorse the particulars of the alteration on the existing certificate.
- (7) Any provisional certificate granted or endorsement made under sub-rule (6) shall be valid for a period of ninety days from the date thereof, within which, the owner shall cause all necessary steps to be taken to have the vessel registered anew.
- 10. Transfer of registry.— (1) If the owner of an inland mechanically propelled vessel ceases to reside or carry on business at the address recorded in the certificate of registration of the vessel, he shall, within thirty days of the change of address, intimate his new address to the registering authority by which the certificate of registration was granted, or if the new address is within the jurisdiction of another registering authority within the same State, to that registering authority, and shall at the same time forward the certificate of registration to the registering authority in order that the new address may be entered thereon.
- (2) Where a registering authority other than the original registering authority makes any such entry, it shall communicate the new address to the original registering authority.
- (3) The registry of an inland mechanically propelled vessel may be transferred from one place in a State to another place in another State, on submission of an application in Form No. 7 by the owner or master of the vessel to the registering authority of the State to which the registration is intended to be transferred.
- (4) On receipt of such application under sub-rule (3), the registering authority shall duly notify the registering authority of the place where the vessel is originally registered, in writing, who shall communicate "no objection" or otherwise to such transfer within a fortnight or earlier.

- (5) The certificate of registration in respect of the vessel shall be delivered to the registering authority of the intended place of registry along with the application.
- (6) On receipt of the application under sub- rule (3) and the fee as prescribed by the State Government, the registering authority of the intended place of registry shall enter in its register book, all the particulars relating to the vessel and grant a fresh certificate of registration in respect of the vessel and henceforth such vessel shall be considered as registered at the new place of registry.
- 11. Transfer of vessel.—(1) If a vessel is transferred to any person, whether resident within the State or not, the transferor and the transferee shall make joint report of the transfer to the registering authority within whose jurisdiction the transferee resides or carries on business within thirty days of such transfer along with a challan or deposit receipt evidencing payment of fees as prescribed by the State Government for such transfer.
- (2) The certificate of registration in respect of the vessel shall also be submitted along with the report referred to in sub-rule (1) to facilitate that the particulars of the transfer of the ownership may be entered thereon:

Provided that when transfer of registry involves transfer from one State Government to another, application shall be made in Form No. 7 as provided in sub – rule (3) of rule 10.

(3) In the event of transfer, the registering authority shall record the details of the transferor as well as the transferee in the Central Data Base.

#### 12. Cancellation of Registration.—

- (1) When any registered inland vessel is declared missing, destroyed, lost, abandoned or has been rendered permanently unfit for service, the owner of the vessel shall report in writing the fact to the Registrar of Inland Vessels of the place where the vessel is registered within fifteen days of occurrence of such event.
- (2) In the case where the Owner decides that a registered inland vessel is to be scrapped or dismantled or sold abroad, such fact is to be reported to that authority at least fifteen days in advance of commencement of scrapping or dismantling or executing such sale and the certificate of registration of the vessel shall also be surrendered to that Authority for cancellation of registration as per the provision of Section 32 of the Act.

#### 13. Mortgage of mechanically propelled inland vessel or share.—

(1)

- (a) A registered inland mechanically propelled vessel or a share therein, may be made as a security for a loan or other valuable consideration, and the instrument creating the security (called mortgage) shall be in Form No 9 and on the production of such instrument, the Registering Authority of the inland mechanically propelled vessels port of registry shall record it in the Book of Registration and endorse the same in the Certificate of Registry.
- (b) Mortgages shall be recorded by the Registering Authority in the order in time in which they are produced to him for that purpose, and the Registering Authority shall, by memorandum under his hand, notify on each mortgage that it has been recorded by him stating the day and hour of that record.
- (2) Where a registered mortgage is discharged, the Registering Authority shall, on the production of the mortgage deed with a receipt for the mortgage money endorsed thereon, duly signed and attested, make an entry in the Book of Registration to the effect that the mortgage has been discharged, and on that entry being made, the estate, if any, which passed to the mortgagee shall vest in the person in whom (having regard to intervening acts and circumstances, if any) it would have vested, if the mortgage had not been made.
- (3) If there are more mortgages than one recorded in respect of the same inland mechanically propelled vessel or share, the mortgagees shall, notwithstanding any express, implore or constructive notice, have priority according to the date on which each mortgage is recorded in the Book of Registration and not according to the date of each mortgage itself.
- (4) Except in so far as making a mortgaged inland mechanically propelled vessel or share available as a security for the mortgage debt, the mortgagee shall not, by reason of his mortgage, be deemed to be the owner of the inland mechanically propelled vessel or share, nor shall the mortgagor be deemed to have ceased to be the owner thereof.

(5)

(a) Where there is only one registered mortgagee of an inland mechanically propelled vessel or share, he shall be entitled to recover the amount due under the mortgage by selling the mortgaged inland mechanically propelled vessel or share without approaching the High Court:

Provided that nothing contained in this sub-rule shall prevent the mortgagee from recovering the amount so due in the High Court as provided in sub-rule (b).

- (b) Where there are two or more registered mortgagees of an inland mechanically propelled vessel or share they shall be entitled to recover the amount due under the mortgage in the High Court, and when passing a decree or thereafter the High Court may direct that the mortgaged inland mechanically propelled vessel or share be sold in execution of the decree.
- (c) Every registered mortgagee of an inland mechanically propelled vessel or share who intends to recover the amount due under the mortgage by selling the mortgaged inland mechanically propelled vessel or share under clause (a) shall give, an advance notice of fifteen days relating to such sale to the Registering Authority of the inland mechanically propelled vessels port of registry.
- (d) The notice under clause (c) above shall be accompanied with the proof of payment of all wages and other amounts due to crew in connection with their employment on that vessel.
- A registered mortgage of an inland mechanically propelled vessel or share shall not be affected by any act of insolvency committed by the mortgagor after the date of the record of such mortgage, notwithstanding that the mortgagor, at the commencement of his insolvency, had the inland mechanically propelled vessel or share in his possession, order or disposition, or was the reputed owner thereof, and the mortgage shall be preferred to any right, claim or interest therein of the other creditors of the insolvent or any trustee or assignee on their behalf.

(7)

- (a) A registered mortgage of an inland mechanically propelled vessel or share may be transferred to any person and the instrument effecting the transfer shall be in Form No. 10 as circumstances permit, and on the production of such instrument, the Registering Authority shall record it by entering in the Book of Registration, the name of the transferee as mortgagee of the inland mechanically propelled vessel or share and shall, by memorandum under his hand, notify on the instrument of transfer that it has been recorded by him stating the day and hour of the record.
- (b) The person to whom any such mortgage has been transferred shall enjoy the same right of preference as was enjoyed by the transferor.
- (c) An instrument creating the discharge of mortgage shall be in Form No. 11 appended to these rules.

#### FORM No. 1

#### [see rules 5(4) and 5(10)]

#### BOOK OF REGISTRATION

Registration Number:		
Name of Vessel		
Port of Registry	Year of Registry	
Name of the Owner		
Address of		
owner		
DESCRIPTION OF INLAND VESSEL		
Type of Vessel Cargo or Passenger etc	Category	
Gross Tonnage	Registered Tonnage	

PARTICULARS OF VESSELS		
Length overall		
Breadth Extreme	ine at eida	
Builder Name and Address	ips, at side	
Year of Built		
Type of Hull wood, steel, etc		
Number of Decks		
No. of Bulkneads		
TD ANG A CITION		
TRANSACTION		
Name of person from whom title is derived	s No. of shares affected	Date of and hour of Registry
ENGINE		
Internal combustion engine No.		
No. offsets		
Made by		
Diameter of cylinder in inches		
		I.H.P.
PROPULSION		
Propeller Type: Single screw or twi Waterjet or OBM etc.		teerable Rudder propeller or Voith or
Revolution per minute (RPM)		Speed of Vessel
Propulsion geared or direct driven _		
Propulsion type: Oil engine or Elec	ctric or Battery or Solar or	other (strike off whichever is not relevant)
REGISTERING AUTHORITY		
Date	<u> </u>	
SUBSEQUENT TO REGISTRAT	TION	
Nature and Date of transaction		

Name, residence and occupation

Number of transaction of transferee or mortgagee or other person acquiring title or power

Place:

#### Form No. 2

## **Application for Registration**

## [see rule 4]

egistering Authority,
nt of
he Owner or Master of an Inland Vessel
request that the said vessel be registered at the
to pay such fees as may be payable under the rules. Particulars in respect of the said Vessel are as
Owner's name and address in full
Occupation
Name of Master and his Certificate No.
Name of Registry and No. if previously registered
When and how the vessel was secured
Kind of vessel, viz. motor, name and address of engine makers with horsepower, speed and the year e.
Name and address of builders with place and year of built.
Details of Insurance Certificate
Enclosures -
A declaration by the owner that the provisions of the Act and the rules made thereunder have been ed with; certificate of survey or provisional certificate of survey;
Challan receipt evidencing payment of fees for the registration of the vessel;
Copy of the 3rd party insurance certificate of the vessel duly attested;
Builder's certificate for new vessels;
Instrument of sale (for second hand vessels);
Mortgage details; and
Declaration of Ownership.

Date:

Signature of the Owner or Master of the vessel

#### FORM No. 3

		TORWI No. 3	
	Declar	ration of Ownership	
	[s	see rule 5(1)(a)]	
I/We			
			1
		residing permanent	tly at
having original place of bu	isiness at		
do hereby declare that vess	sel named		
in the year	and was purch	nased by me on	
for rupees			•
	registered in my nan	ne at the port ofa	and that I am the owner of the same
Signature of Owner			
Above named		in the presence	of
Signature of Magistrate of Note: The declaration shall	ll be made before a M		y Public or a registering Authority.
A			annel hu tha Daoistauina Authauite
Appointment of date	_	ion of the imand ve [see rule 5(5)]	essel by the Registering Authority
Dated:		[see Tule 3(3)]	
Ref. No.:			
То,			
The Owner or Master on the	he Inland Vessel		
Sir/Madam,			
•	ipt of your applicatio	n for registration of th	ne vessel named above under Inland
Vessels Act, 2021, this is t	to state that Registeria	ng Authority or Surve	eyor shall proceed on board the
vessel at	hours on	day of	, 20

You are requested to afford to the Registering Authority or Surveyor all reasonable facilities for the registration of the Inland Vessel and all such information respecting the vessel as he may require for the purpose of registration.

Yours faithfully

Registering Authority
Inland Vessels

#### FORM No. 5

#### **Carving and Marking Note**

[see rule 5(8)]
Dated:
Ref. No.:
To,
The Owner or Master of the Inland Vessel
Sir/Madam,
This has reference to your application for registration of the above named vessel and subsequent enquiry of the vessel conducted under rule 6 of these rules, you are advised to have the below enumerated marks carved on the vessel's hull under rule 9 of these rules:  Name of the Vessel:
Official No.
Port of Registry:Year of Registry:
You are further advised to contact this office after the completion of requisite carving (which in no case shall be greater than fifteen days from the date of issue of this letter) for final inspection for the purpose of registering the vessel.
Please also be advised that you shall be required to surrender this carving note in original at the time of issuance of Certificate of Registration.
Yours faithfully,
Registering Authority
Inland Vessels

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 31

#### Form No. 6

## ${\bf Request/Application\ for\ registration\ of\ alteration}$

[see rule 9(3)]

To,	
The Registering Authority,	
Sir/Madam,	
I, being the owner of inland ve the following alterations have been carried	out on the vessel:  Official Nohereby report that
1	
I therefore, apply for registering the alter	rations or the issue of a fresh Registration Certificate. I enclose an showing the deposit of the necessary fees.
I also enclose herewith the original certifica	ate of Registration No.
Date	(SIGNATURE OF THE OWNER)
Alterations Verified by (Name and Signa	ature of Surveyor)
Date:	
	FORM No. 7
Applica	ntion for Transfer of Registry
[se	ee rules 10(3) and 11(2)]
To,	
Registering Authority	
I,	resident of
being the owner of an Inland Vessel Name	official no
be transferred to your register from the regi	hereby request that the registry of the said vessel may kindly ster of the Registering Authority ofin
	. The certificate of registration is enclosed herewith.
	is also enclosed.
Place	
Date	
<del>-</del>	

SIGNATURE OF THE OWNER

# FORM No. 8 CERTIFICATE OF REGISTRATION

[see rule 6(1)]

#### PARTICULARS OF VESSEL

Issued by ......[details of Registering Authority]

Official Number	Name of the Vessel	No. , Date and Port of Registry	No. , Date and Port of Previous Registry (if any)
Whether Indian or	Whether self propelled	Where Built	Name
Foreign Built	Propulsion Type		and
			address
			of
			Builders
Numbers of Decks	Length		Metres
Stem	Breadth to outside of plating		
Stern	Moulded Depth		
Material Description	Length of engine – room (if any)		
Number of Bulkheads			

## PARTICULARS OF PROPELLING ENGINES, & MACHINERY, as supplied by Builders, Owners, or Engine Makers

No. of sets of Engines	Description of Engines	Whether Indian or Foreign made	When made	Name and address of Makers	Reciprocating	Engines	Rotary Engines	B.H.P. Estimated Speed of Vessel
					No. of cylinders in each set	Diameter of cylinders	No. of Cylinders in each set	
No. of Shafts		Engines		Engines	Engines			
<b>D</b> .: 1					Length of Stro	oke		
Particular Boilers	rs of							

Description				
Number				
Loaded				
pressure				
			1	
	PARTICULARS (	OF TONNAGE		
The tonnages of this ves	sel in accordance with India Tor	nnage Certificate are: -		
GROSS TONNAGE	tons			
NET TONNAGE	tons			
A detailed summary of t	he tonnages for this vessel is sho	own on the Certificate of Su	ırvey	
	whom accommodation is certification			
Vessel the Description of Description is in accord Competency of Service	stering Authority at the Port of  of which is prefixed to this my collance with the Register Book;  ce is No, is the Mas	ertificate, has been duly sur thatster of the said Vesse ence and Desc	rveyed, and the control of the contr	hat the above Certificate of the Name of the
Name Residence and Oc	cupation of the Owner	Number of Tenth Share	S	
Date at	the	day of Two thousand and		
		inally of the discussion and		
all changes of ownership Vessel. In case of any ch the change should be reg particulars should be no constructively lost, taken	of Registration is not a document, and in no case does it contain ange of ownership it is importang gistered according to law. Chang tified to the Registering Authorian by the enemy, burnt or broken with the certificate of registration the Port of Registry.	an official record of any m nt for the protection of the i ges of ownership, address o ty. Should the Vessel be eith up or cease for any reason	ortages affec interests of al or other regis her actually o to be an Indi	ting the Il parties tha stered or an Vessel
	FORM 1	No. 9		
	Instrument creat	ing Mortgage		
	[see rule	13(1)]		
Name of the Vessel		Official No		
Certificate of Registry N	[o	Place of Registry		

Date of Registry				<del></del>
Description of the vessel (wh				
Hull (Length for identificatio			ower of Engine:	
Equipment:	11	)		
Boats	Length	Breadth	Depth	
2000	20118411	210000	2 op	
No.1				
No.2				
No.3				
Gross Registered Tonnage		Net Regi	stered Tonnage	and
described in more detail in th				
I/We the undersigned (Full N		•	•	gagers)
		-		
in consideration of		this day lent 1	y (Full name, address	and
Description of mortgagee. I	f joint mortga	agees are concerne	d they shall be described	d, if the
Mortgagee is a Company, the	he full title an	d address shall be	given).	
Me / Us				
do hereby for Myself / ourse	lves and my /	our heirs, executor	s or administrators covena	ant with the said
Firstly, that (Full Name & A	ddress with d	description of mor	tgager or mortgagers) or	r <b>my</b> /
our heirs, executors, or admir	nistrators, will	pay to the said		
the said sum of	together w	ith interest thereon	at the rate of	percent,
per annum on the (Insert day	y fixed for Pay	yment of Principal	Amount) day of	next.
Secondly, that if the said prin of mortgager or mortgager part thereof remains unpaid, part thereof as may for the tiry yearly payments on tho of	pay to the same being remade erry year; and	heirs, executors of idin unpaid, at the ratday for better securing	administrators, will durin interest of per cent per a ofand	g as the same or any on the whole or such nnum, by equal halfDay
I/We (Full Name & Addresaidshares of w boats, and appurtenances,		_		
Lastly, I/We for myself/or saidaforesaid the above				
Mentioned shares, and that the appears by the book of registr			ces (If any prior encumb	rances add, "save as
In witness where of $I / We$ has with description of the more		-		

named. In the presence of				
Witness 1 (Name, Full Add	ress and Signature,	Seal)		
Witness 2 (Name, Full Add	ress and Signature,	Seal)		
Mortgage (By Company o	r Body Corporate	) (to secure pri	ncipal sum and in	terest)
Name of the Vessel			Official No.	
Certificate of Registry No			Place of Registry	
Date of Registry				
Description of the vessel (w power):				
Hull (Length for identificati	on	)		
<b>Equipment</b> :				
Boats	Length	Breadth	Depth	
No.1				
No.2				
No.3				
Gross Registered Tonnage more detail in the certificate			d Tonnage	and as described in
of this joint mortgagees are concand address shall be gi	day lent to us leerned they shall leven) do hereby from the said	by (Full name oe described, it for ourselves a and his / t an at the rate of	e, address and do f the mortgagee is and our successon heirs / its assign or his/theirs/its per cent, per an	business) in consideration escription of mortgagee. If a Company, the full title is covenant with the said as firstly, that we or our as assigns the said sum num on the (Insert the day)
the same or any part thereof the whole or such part the annum, by equal half-yearly year; and for better securing	of remains unpaid, preof as may for the payments on the  g the said	pay to the said ne time being tday the repayment	or his/t inpaid, at the rate y ofa in manner aforesa are/shares of which	heirs/its assigns interest on of per cent, per and day of in every id of the said principal sum in we are the Owners in the
that we have power to more	gage in manner afo	oresaid the above	ve mentioned share	and his / theirs/its assigns and that the same are free book of registration of the

said vessel.")

	hereunto affixed our common seal this	ffixed
hereunto in the presence of	(Description	
witnesses, Directors, Secreta	ary as the case maybe)	
	Form No. 10	
Instrument	creating Transfer of Mortgage By Individual or Joint Owners	
	[see rule 13(7)(a)]	
I / We	the within-mentionedson of	
	in consideration of	
this da	ay paid to <i>me /us</i> by	7
transfer to him / them /it	the benefit of the within written security.	
In witness whereof	I / we have here-un-to subscribed my / our name	
	and affixed <i>my / our</i> seal this	
of aı	nd executed by the above-named in the	
presence of (Name, address	and signature of at least two witness).	
(By Company or Body Corp	porate)	
	in consideration of this day paid sfer to h <i>im /them /it</i> the benefit of the within-written security.	to it
In witness whereof we have	here unto affixed our common seal thisday of	
	was affixed in the presence of (Signature vitnesses, Directors, Secretary etc. as the case maybe.)	e and
N.B. – In the case of transfe	er of mortgage it shall be made by endorsement in the above forms.	
	Form No. 11	
	Instrument creating discharge of the mortgage	
	[see rule 13(7)(c)]	
In case of Mortgage is paid be used.	d off, a memorandum of its discharge on anyone of the following forms	shall
(a) by individual or jo	int owners	
Received the sum of	in discharge of this within written	
security, dated at	day of20	
(*) The name and signature	of atleast two witnesses.	
(b) by companies or be	ody corporate	
Received the sum of	in discharge of the within-written security.	
In witness whereof we have	here-un –to affix our common seal thisDay of	
20 at		

The common seal of the	was affixed with presence of
	(Description and Signature of at least two witnessesi.e.,
Director, Secretary etc.)	((r

#### Form No. 12

	FOIII 100. 12
	Application for issuance of provisional certificate of registration
	[see rule 6(4)]
To,	
The R	egistering Authority
I,	
Reside	ent of
being	the Owner/Master of an Inland Vessel
	request that the said vessel be provisionally registered and a provisional certificate of registration be at
for the	e reason(s)
I agree under:	e to pay such fees as may be payable under the rules. Particulars in respect of the said Vessel are as
1.	Owner's name and address in full
2.	Occupation
3.	Name of Master and his Certificate No. (if applicable)
4.	Name of Registry and No. if previously registered
5.	When and how the vessel was secured
6. of mal	Kind of vessel, viz. motor, name and address of engine makers with horsepower, speed and the year ke.
7.	Name and address of builders with place and year of build.
8.	Details of Insurance Certificate Enclosures:-
- \	A statement by the common that the massicions of the Act and those miles have been committed with. A

- a) A statement by the owner that the provisions of the Act and these rules have been complied with; A duplicate of the Certificate of Survey;
- b) Challan receipt evidencing payment of such fees as specified in the schedule for the registration of the vessel.
- c) Copy of the 3rd party insurance certificate of the vessel duly attested.
- d) Builder's certificate for new vessels
- e) Instrument of sale (for second hand vessels)
- f) Mortgage details

g) I	Declaration of Ow	vnership		
Place:				
Date:		Sig	gnature of the Owner/ Mas	ter of the vessel
		FORM I	No. 13	
	P	ROVISIONAL CERTIFICA	ATE OF REGISTRATIO	)N
		[see rule	6(4)]	
	I	Expiry on or before thed	ay of 20 (see footnote	1)
Issued by	<i>/</i>	.[details of Registering Auth	ority]	
PARTIC	CULARS OF VI	ESSEL		
Name of	the Vessel	Where Built	No. , Date and Port of Previous Registry (if any)	Whether self propelled/ Propulsion type
Name				
and address				
of				
Builders				
Dullucis				
Numbers	of Dooks	Length		Metres
Stem	of Decks	Breadth to outside of plating	T	Wettes
Stern		Moulded Depth		
	Description	Length of engine – room (if	any)	
	of Bulkheads	Length of engine – foom (if	any)	
Number	or Burkileaus			
	CULARS OF PRO e Makers	OPELLING ENGINES and	MACHINERY, as supp	olied by Builders, Owners
Number of	of Engines:			
Combine	d Power:			
Name and	d address of the e	ngine Maker:		
		PARTICULARS (	OF TONNAGE	
The tonna	ages of this vesse	l in accordance with India Tor	nnage Certificate are: -	
GROSS 7	ΓONNAGE	tons		
NET TO	NNAGE	tons		

भारत का राजपत्र : असाधारण 39 [भाग II—खण्ड 3(i)] A detailed summary of the tonnages for this vessel is shown on the Certificate of Survey The Number of crew for whom accommodation is certified ..... I, the undersigned, Registering Authority at the Port of...... in ....... State here by certify that the Inland Vessel the Description of which is prefixed to this Provisional certificate, has been duly surveyed, and that the above Description is true; that...... whose Certificate of Competency of Service No....., the Master said Vessel. and that the Name is of the Description ....., Residence and of the Owner...., and Number of Tenth Shares Held by are as follows:-Number of Tenth Shares Name Residence and Occupation of the Owner

**NOTE 1:** - This Provisional Certificate of Registration, issued under the provisions of section 27(2) of the Inland Vessels Act, 2021 and continues to be in force only until the.....day of 20....

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT]

SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics)